

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 10/04/2012

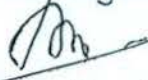
क्रमांक एफ-10/ 18 /2012/वाक/पांच (22) - केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 13 की उप-धारा (3), (4) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

- (1) नियम 8 के उप-नियम (1-ए) के खण्ड (ब) में शब्द "प्ररूप 'सी'" के पश्चात् शब्द "प्ररूप 'एफ'" अंतःस्थापित किया जाय।
2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ज्योतिर तिग्गा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 10/04/2012

क्रमांक एफ-10/ 18 /2012/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/ 18 /2012/वाक/पांच (22) दिनांक 10/04/2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ज्योतिर तिग्गा)
संयुक्त सचिव

**Government of Chhattisgarh,
Commercial Tax Department,
Mantralay
Dau Kalyan Sing Bhawan, Raipur**

NOTIFICATION

Raipur, Dated 10/04/2012

No.F-10-18/2012/CT/V(22)- In exercise of the powers conferred by sub-section (3),(4)and (5) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Sales Tax (Central) Rules, 1957, namely:-

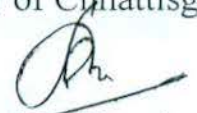
AMENDMENT

In the said rules:-

- (1) In clause (b) of sub-rule(1-A) of Rule 8, after the words "Form 'C", the words "form 'F" shall be inserted.

2/- This amendment shall come into effect from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh


(Xavier Tigga)
Joint Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 05/10/12

क्रमांक एफ-10/36/2012/वाक/पांच (50) - केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 13 की उप-धारा (3), (4) एवं (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

संशोधन नियमों में,-

- (1) प्रारूप-पांच में अनुक्रमांक 17 के पश्चात् निम्नलिखित भाग-क जोड़ा जाय:-

“भाग-क

अंतर्राज्यीय विक्रय की सूची

क्र०	तिमाही की अवधि	व्यापारी का नाम पता सहित जिसे माल बेचा गया	टिन नंबर	विक्रय किये गए माल का विवरण	मूल्य	‘सी’ फार्म क्रमांक (यदि विक्रय ‘सी’ फार्म के विरुद्ध किया गया है)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				योग			

नोट:- ‘सी’ फार्म संलग्न करें।

- (2) प्रारूप-पांच-ख के भाग-ख की सूची “डी फार्म के विरुद्ध अंतर्राज्यीय विक्रय की सूची (त्रैमासिक)” से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाय।
2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(जेवियर तिग्गा)
संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 05/10/12

क्रमांक एफ-10/36/2012/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/36/2012/वाक/पांच (50) दिनांक 05/10/12 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(जेवियर तिग्गा)
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, RAIPUR

NOTIFICATION

Raipur, Dated 05/10/12

No. F-10/ 36 /2012/CT/V (50) – In exercise of the powers conferred by sub-section (3), (4) and (5) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Sales Tax (Central) Rules, 1957, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

- (1) In Form-V after Serial No. 17 , the following part-A shall be added:-

“PART- A

List of Inter-state sales

S. No.	Period of quarter	Name of dealers with Address to whom goods sold	TIN No.	Description of goods sold	Value	‘C’ Form No. (If sold against ‘C’ form)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Total			

Note:- Enclose ‘C’ Form.

- (2) In part-B of Form-V-B, for the relating entry of list “List of Inter-state sales against ‘D’ form (Quarterly)” shall be omitted.

2. This amendment shall come into effect from the date of publication in official gazette.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


(Xavier Tigga)
Joint Secretary